

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय,****लखनऊ****आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या – 5505/2026**

मनु देवी और अन्य

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग,

लखनऊ के माध्यम से और अन्य

... .. प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : नीरज कुमार बघेल, अमरेंद्र कुमार, शिव सागर, विवेक कुमार पाण्डेय
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 9**माननीय न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान,****माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत,**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य – विपक्षी संख्या 1, 2 और 3 की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना ।
2. प्रस्तावित आदेश के मद्देनजर, विपक्षी संख्या 4 को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. वर्तमान रिट याचिका विपक्षीगणों को याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए परमादेश रिट की मांग करते हुए दायर की गई है।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दिया है कि याचिकाकर्ता बालिग हैं और उन्होंने 18.05.2026 को आर्य समाज मंदिर, सेक्टर-क्यू, अलीगंज, लखनऊ में स्वेच्छा से आपस में विवाह किया है, विवाह प्रमाण पत्र की छायाप्रति वर्तमान याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 1 के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रूप में संलग्न है। याचिकाकर्ता संख्या 1 की बालिग होने की पुष्टि के लिए, क्योंकि उनकी जन्म तिथि 01.07.2007 है, हाई स्कूल परीक्षा, 2023 के प्रमाण पत्र-सह- अंकतालिका की छायाप्रति भी वर्तमान याचिका के साथ संलग्न है। याचिकाकर्ता संख्या 2 की जन्म तिथि हाई स्कूल अंकतालिका के अनुसार 01.07.2002 है, जिसकी छायाप्रति भी वर्तमान याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न है। यह तर्क दिया गया है कि विपक्षी संख्या 4 इस विवाह से प्रसन्न नहीं है और इसलिए वह याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दिया है कि इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2006 (5)*

एससीसी 475 में, पैरा-17 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

“17. यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है, तो वह जिससे चाहे उससे विवाह कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसे अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे अधिकतम यह कर सकते हैं कि वे बेटे या बेटी से सामाजिक संबंध तोड़ लें, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते, हिंसा नहीं कर सकते या हिंसा के कृत्यों को उकसा नहीं सकते और ऐसे अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते। इसलिए, हम, निर्देश देते हैं कि देश भर के प्रशासन/पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई बालिग लड़का या लड़की किसी बालिग महिला या पुरुष से अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करता है, तो दंपति को किसी के द्वारा परेशान न किया जाए, न ही उन्हें धमकी दी जाए या हिंसा के कृत्यों का शिकार बनाया जाए, और जो कोई भी ऐसी धमकी देता है, परेशान करता है या हिंसा के कृत्यों को अंजाम देता है, चाहे स्वयं या उसके उकसावे पर, ऐसे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करके दंडात्मक कार्रवाई की जाए और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानून द्वारा निर्धारित कठोर कार्रवाई की जाए।”

6. याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण की भी अपील की है, जो ग रिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
7. इसलिए, इस रिट याचिका का **निस्तारण** विपक्षीयों को याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन और स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करने के निर्देश के साथ किया जाता है।
8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस मामले में पहले से कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है, तो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।
9. हालांकि, यह, स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की आयु या कथित विवाह की सत्यता/वैधता पर कोई विचार नहीं किया है और न ही इस पर कोई निर्णय दिया है।
10. याचिकाकर्ताओं को आज से दो महीने के भीतर "उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम, 2017" के तहत अपना विवाह पंजीकृत कराना होगा, अन्यथा यह आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
11. संबंधित विवाह रजिस्ट्रार को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार यथाशीघ्र पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करें। विवाह प्रमाण पत्र जारी करते समय, संबंधित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों पक्षों द्वारा सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हों। ।

(न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत) (न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान)

5 जून, 2026

करन/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।